न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 25 / 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ओमप्रकाश पुत्र खींयाराम फुलवारिया जाति रेगर निवासी रिंयाबडी सचिव, डूंगरिया बास, रेगर समाज सेवा समिति, रियाबडी तहसील रियाबडी जिला नागौर।		1 मोहनलाल पुत्र भालाराम जाति रेगर निवासी रिंयाबडी तहसील रिंयाबडी। 2ग्राम पंचायत रिंयाबडी जरिये सरपंच तहसील रिंयाबडी जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री श्याम कुमार व्यास एवं श्री ओमप्रकाश गौड, अधिवक्तागण, प्रार्थी की ओर से।
2 श्री देवेन्द्रराज कल्ला, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 21.06.2022

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रिंया बडी द्वारा प्रस्ताव सं. 26 दिनांक 05.07.2019 मिशल संख्या 45 के जरिए जारी पट्टा सं. 46 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.07.2020 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 28.07.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री देवेन्द्रराज कल्ला अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पट्टा सं. 46 की फोटोप्रति, पट्टा पंजीयन रसीद की फोटोप्रति, पूर्व में जारी पट्टा की फोटोप्रति, हिन्दी अनुवाद की फोटोप्रति, शिलालेख की फोटोप्रति, संस्था रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति, श्रीमान् जिला कलक्टर नागौर को प्रस्तुत शिकायत की फोटोप्रति, एफआईआर दिनांक 09.06.2020 की फोटोप्रति, तथा अप्रार्थी द्वारा फोटोग्राफ–4 तथा रामपाल, बालूराम, मदनलाल, किसनाराम, मोहनलाल तथा मूलचंद को जारी पट्टों की फोटोप्रतियां, बिजली बिल की फोटोप्रति, किरायानामा की फोटोप्रति, अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 09.06.20 की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– निगरानीकर्त्ता डूंगरियां बास रियांबडी का निवासी है व रेगर समाज रियांबडी का सदस्य है तथा डूंगरियां बास के रेगर समाज द्वारा एक सेवा समिति बनाई गई है निगरानीकर्त्ता उसका सचिव भी है। विवादित भूमि से प्रार्थी रेगर समाज का सदस्य होने के नाते उसका प्रत्यक्ष हित जुडा हुआ है क्योंकि विवादित भूमि प्रार्थी के समाज की पट्टा सुदा, कब्जासुदा भूमि है।

2(2)– निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्वांतों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं मौके की स्थिति के भिन्न पारित किए गए होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2(3)– अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पारित पट्टा प्रस्ताव/ आदेश पंचायत अधि. 1996 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बगैर पारित किए गए होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2(4)– पचांयत राज अधि. के तहत ग्राम पंचायत केवल उन्ही भूमियों के संबंध में पट्टा जारी कर सकती है जो उनके स्वामित्व व कब्जे की हो। किन्तु इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जिस भूमि के संबंध में प्रस्ताव लेकर पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत रियांबडी के स्वामित्व की ना तो थी, ना है। बल्कि उक्त भूमि रेगर समाज रियांबडी की पट्टासुदा कब्जा शुदा भूमि है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02 ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर रेगर समाज रियांबडी की पट्टासुदा कब्जासुदा भूमि में से 2697.83 वर्गफुट भूमि बाबत जो प्रस्ताव सं. 26 पारित किया गया है वह प्रारंभ से ही अवैध व शून्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2(5)– अप्रार्थी संख्या 2 ने जिस विवादित पडोस बीच की भूमि का प्रस्ताव/स्वीकृति आदेश अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पारित किया गया है वह भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जासुदा कभी नहीं रही, ना ही इस भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का कोई मकान बना हुवा है बल्कि भूमि मौके पर खाली भूखण्ड के रूप में स्थित है। ना ही 50 वर्षो से इस विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 ने बिना किसी निर्माण के ही एवं बिना किसी प्रकार की जांच किए अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से जो प्रस्ताव/आदेश पारित किए है वह निरस्त किए जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में राजस्थान पंचायती राज कानून के पृष्ठ संख्या 276 से 281 तक नजीरे पेश की।

2(6)– अप्रार्थी संख्या 2 ने सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधिविरूद्व ढंग से बिना आज्ञप्ति/विज्ञप्ति जारी किए, बिना मौके पर आकर मौका निरीक्षण किए एवं सार्वजनिक रूप से बिना कोई सूचना प्रकाशित करवाए, बिना आवेदन शुल्क जमा करवाए सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायत कार्यालय में ही निष्पादित करते हुवे अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश दिनांक 5.7.2019 को पारित कर दिया। जिसकी जानकारी अभी हाल ही में प्रार्थी को होने पर प्रार्थी व अन्य ने दिनांक 27.1.20 को जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष एक प्रतिवेदन पेश किया एवं तत्पश्चात् एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.2.20 को पेश की। इसके अलावा दिनांक 28.2.2020 को ग्राम पंचायत से कथाकथित पट्टा संख्या 46 की नकल प्राप्त होने पर सम्पूर्ण जानकारी हुई। इस कारण उक्त प्रस्ताव/आदेश को निरस्त किए जाने हेतु उक्त निगरानी पेश की गई।

2(7)– रेगर समाज की भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। पंचायत केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी कर सकती है। पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 के अनुसार पुराना मकान अथवा आवास नहीं होने से पट्टा जारी करने में उक्त नियम की पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के शपथ पत्र में लिखा है कि समाज के लिये पट्टा जारी किया जाये जबकि पट्टा व्यक्तिगत जारी किया गया है। पट्टे में "सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित" शब्द बाद में लिखा है।

3– वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में बताया कि पट्टे बनने के बाद "सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित" शब्द नहीं लिखा है। प्रार्थी ने यह नहीं बताया कि नियम 157 की पालना किस प्रकार नहीं की है। प्रार्थी न तो गांव में रहता है एवं रंजिश के कारण जगह जगह शिकायत करता है। एफआईआर तथा निगरानी अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से की है। जांच होने के बाद पट्टा जारी किया गया है तथा पट्टे का पंजीयन भी करवाया है। समाज को विकसित करने हेतु यह पट्टा जारी करवाया गया है। प्रार्थी का केवल बाधा उत्पन्न करना ही मकसद है। अतः निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत रिंयाबडी के प्रस्ताव सं. 26 दिनांक 05.07.2019, मिसल संख्या 45 के जरिए पट्टा सं. 46 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 16 में शपथ पत्र में लिखा है कि रेगर समाज के लिए पट्टा जारी किया जाये परन्तु पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 (व्यक्ति विशेष) के नाम जारी किया गया है। उक्त भूमि समाज विशेष की भूमि है न की ग्राम पंचायत की, अतः पट्टा व्यक्ति विशेष को जारी नहीं किया जा सकता है। पट्टा संख्या 46 जो अप्रार्थी को जारी किया गया है उसमें "सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित" शब्द बाद में लिखा जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 46 जारी करने में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रियांबडी द्वारा प्रस्ताव सं. 26 दिनांक 05.07.2019, मिसल संख्या 45 के द्वारा जारी पट्टा सं. 46 को निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर